

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 30/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गेनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री भगवंतराम खुडीवाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:11.01.2021

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2020 सरकार बनाम गेनाराम में निर्णय दिनांक 15.06.2020 के तहत मौजा रूपाथल के खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.08.2020 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 01/20 के फर्द अहकाम दिनांक 1.6.20 से 15.6.20 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 15.06.20 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी नही बतायी गयी। क्योंकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहा गया था कि, पटवारी से जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही होगी। जिसके कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे नही गया और न ही कोई पटवारी मौके पर जांच करने के लिये आया। जिसके कारण उसको आदेश जैर अपील की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 27.07.20 को पटवारी द्वारा मौके पर आकर उसके खेत की सीवें व डोली को हटाने का कहा तब उसे प्रथम बार उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसके लिये उसी दिन नकलो के लिये आवेदन पेश किया तथा नकल लेकर रु. पैसे की व्यवस्था करके नागौर आया तथा अपील पेश की। जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि, ग्राम रूपाथल के खसरा नं. 141 रकबा 6.09 बीघा रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है। बल्कि अपीलान्ट जहां पर पीढियो से कृषि कार्य करता आ रहा है। वही आज दिन कृषि कार्य कर रहा है तथा उसी जगह सीवे कायम हो रखी है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर पटवारी से पुनः जांच करवाने का निवेदन भी किया। किन्तु दिनांक 12.06.20 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे तथा आगामी

तारीख पेशी अपीलान्त को बतायी नही गयी व दिनांक 15.6.20 को पत्रावली को नियत कर अपीलान्त के जवाब व प्रार्थना पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध व शून्य है।

{2}(III)-अपीलान्त को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)-पटवारी रिपोर्ट द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त प्रकरण मे इस संबंध मे न तो पटवारी के शशपथ न्यायालय मे उक्त तथ्यो को साबित करवाने के लिये बयान करवाये गये और न ही अपीलान्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यो के आधार पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)-अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी द्वारा पेश की गई तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)-अपीलान्त को पटवारी द्वारा तैयार की गई फर्दो व उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिये बिना ही उक्त साक्ष्य के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया। जो अवैध है।

{2}(VII)-अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र शिकायत कर्ताओ को खुश करने के लिये तुरत फुरत मे अपीलान्त को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।


{2}(IX)-वकील अपीलान्त ने यह भी कथन किया कि आराजी भूमि से अपीलान्त ने अब अतिक्रमण हटा भी दिया गया है।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्त द्वारा मौजा रूपाथल में स्थित गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्त ने आदेश में अपीलान्त को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूपाथल के खसरा नंबर 141 गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्त का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द बेदखली दिनांक 28.07.20 के अनुसार आराजी भूमि से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर क्लर्क, नागौर
नागौर